

(d) whether Government would also place the said lists on the table of the house?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) and (b) The list of admissions under special dispensation quota for the Members of Parliament has been finalised. It will be displayed in the Kendriya Vidyalaya Sangathan and in concerned Vidyalayas with the names of students and the names of the sponsoring Members of Parliament.

(c) Yes, Sir.

(d) There is no such proposal.

Corruption cases against Director, IIT, Bombay

3376. SHRI AJIT P. K. JOGI:
SHRIMATI KAILASHPATI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Director of the Indian Institute of Technology, Bombay is involved in several serious cases of corruption, disappropriation of funds and favouritism;

(b) whether it is also a fact that several people representatives have drawn Government's attention in this regard;

(c) if so, whether any inquiry has been ordered against the Director of the IIT, Bombay;

(d) if so, what are its findings; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA):

(a) to (e) The attention of the Government has been drawn by people's representatives towards some charges against the Director of the IIT, Bombay. The matter has been examined in consultation with the Chairman of the Board of Governors of the Institute. It is seen from the factual information and its analysis that there is no substance in the allegations made. The question of instituting an enquiry, therefore, does not arise.

तकनीकी शिक्षा के लिए विश्व बैंक से प्राप्त सहायता का उपयोग

3377. श्री अजीत जोगी :

श्रीमती कैलाशपति :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक ने तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता स्वरूप कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है ;

(ख) अब तक उसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) शेष धनराशि को उपयोग में लाए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्व बैंक 1990-1999 की अवधि के लिए, तकनीकी शिक्षा के आधुनिकीकरण तथा उसे स्तरोन्नत करने के लिए दो परियोजनाओं के अंतर्गत 373.3 मिलियन के विशेष आहरण अधिकारों (एस. डी. आर.) की ऋण सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है जिसमें 16 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त पालिटैक्निकों को शामिल किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त ऋण के अंतर्गत जुलाई, 1992 के अन्त तक, विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) के 35.448 मिलियन उपयोग कर लिए गए हैं।

(ग) पहली परियोजना, 5.12.90 को चालू हो गई थी और दूसरी 29.1.1992 को चालू हो गई थी। परियोजना को क्रियान्वयन हेतु विस्तृत तैयारी करने के बाद राज्यों ने खर्च करना शुरू कर दिया है और उन्होंने ऋण के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के दावे भेजने आरंभ कर दिए हैं।

अल्पसंख्यकों की शैक्षिक समस्याओं के संबंध में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

3378. मौजाना ओबेदुल्ला खान
आगतमो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्पसंख्यकों की शैक्षिक समस्याओं पर विचार करने के लिए गठित किए गए विशेषज्ञ दल ने 23 जुलाई, 1992 को सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) इस विशेषज्ञ दल के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ग) इस विशेषज्ञ दल ने अपने प्रतिवेदन में क्या-क्या सिफारिशों की हैं; और

(घ) सरकार उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) कार्रवाई योजना में संशोधन करने के लिए गठित 22 कार्य दलों में से अल्पसंख्यक शिक्षा पर एक कार्य दल है, जिसने 23 जुलाई, 1992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(ख) अल्पसंख्यक शिक्षा पर कार्यदल के सदस्य निम्नलिखित हैं :-

1. श्री अजीज कुरेशी—(अध्यक्ष)
2. श्री आर.के. सिन्हा—(सदस्य)
अपर-सचिव,
शिक्षा विभाग
3. डा. शकील अहमद—(सदस्य)
प्रधानाचार्य, मिर्जा गालिब
कालेज, गया (बिहार)
4. डा. खालिक अंजुम—(सदस्य)
महासचिव, अंजुमनतरक्की
उर्दू (हिन्द), नई दिल्ली
5. श्रीमती लिज्जी जैकब—(सदस्य)
शिक्षा सचिव,
केरल सरकार
6. श्री एम.एस. पंडित—(सदस्य)
संयुक्त सचिव (अल्पसंख्यक)
कल्याण मंत्रालय
7. श्री के. राजन—(सदस्य)
सलाहकार (पिछडावर्ग संबंधी प्रभाग)
योजना आयोग
8. श्री एस.आई. सिद्दीकी—(सदस्य)
निदेशक डी.जी. (ई. एण्ड टी.)
श्रम मंत्रालय
9. डा. वाई.एस. शाह—(सदस्य)
संयुक्त सलाहकार, शिक्षा प्रभाग
योजना आयोग
10. श्री हाकिम मन्जूर—(सदस्य)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
जम्मू और कश्मीर
11. श्री आई.डी. खान—(संयोजक)
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
नई दिल्ली

(ग) और (घ) अल्पसंख्यक शिक्षा पर कार्य दल सहित, विभिन्न कार्य दलों की सिफारिशों को संशोधित कार्रवाई योजना में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा जिसे वर्तमान सत्र के दौरान संसद के समक्ष रखे जाने का प्रस्ताव है।